न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 145/2017

तारीख 14.07.2017

क्षेत्रीय प्रबंधक रीको आद्यौगिक क्षेत्र सवाई माधोपुर जरिये प्रबंधक श्री अनुप कुमार सक्सेना पुत्र ओमप्रकाश सक्सेना जाति काश्यत निवासी सवाई माधोपुर तह0स0मा0 ——— अपीलार्थी

बनाम

1. रामनिवास वल्द हरफूल जाति मीना निवासी ग्राम मउ तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार सवाई माधोपुर।

——— रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 30-9-21

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2012 एवं नामान्तरकरण संख्या 2198 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2198 दिनांक 23.04.2012 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील माननीय जिला कलेक्टर न्यायालय से स्थानान्तरकण होकर अदालत हाजा को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 590/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा अन्य खसरा नम्बर के साथ अपीलान्ट को आद्यौगिक ईकाईयों की आवंटित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था इसी खसरा नम्बर से 50 20 फिट की भूखण्ड के लिये विवाद उत्पन्न होने पर एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट न्यायालय उप जिला कलेक्टर के यहॉ पर रामनिवास बनाम वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रिको एवं अन्य के विरूद्व दिनांक 16.04.2012 निर्णित किया है जिसके विरूद्व अपीलार्थी ने न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ निर्णय के विरूद्व अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की दौराने स्थगन आदेश अपीलार्थी को जानकरी मिली की रेस्पोडेन्ट ने मिलकर आदेश दिनांक 16.04.2012 की आड में नामान्तरकरण दिनांक 23.04.2012 भी खुलवा लिया था ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र शून्य एवं प्रभावी होने के कारण निरस्त हो गया। यह है कि उपजिला कलेक्टर के यहॉ पर विचाराधीन प्रकरण में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:15:41 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पक्षकार थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को यह भलीभांति जानकारी थी कि उप जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 16.04.2012 के विरूद्व अपील की मियाद अभी नहीं निकली है, दौराने अपील मियाद नामान्तरकरण स्वीकार करना विधि विरूद्व होनें से निरस्त किये जाने योग्य है।

यह है कि आदेश दिनांक 16.04.2012 के सम्बन्ध में उप जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 17.04.2012 को तहरीर जारी करना पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.04.2012 रिपोर्ट करना व गिरदावर द्वारा दिनांक 20.04.2012 को तुलना की रिपोर्ट करना और दिनांक 23.04.2012 को तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार करना स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी को अपील के अधिकार से पूर्णतः वंचित करने की दुर्भावना थी। अन्त में वकील अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2012 एवं नामान्तर करण संख्या 2198 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में किये गये कथनो का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा हमारे पक्ष में दिनांक 16.04.2012 निर्णय पारित करने पर तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय की पालना में हमारे पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया है जो विधि के प्रावधोना के अन्तर्गत सही एवं दुरूस्त है। यह है कि विवादित भूमि कभी भी आद्योगिक क्षेत्र रिको नहीं रही है। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा औधोगिक ईकाई के लिये उक्त भूमि को आवंटित की गयी थी किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा यदि भूमि राज्य सरकार द्वारा रिको को आवंटित की गयी थी तो उक्त संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो सके की भी उक्त विवादित भूमि को राज्य सरकार द्वारा रिको को आवंटित की गयी है। यह है कि उक्त विवादित भूमि कभी भी रिको के क्षेत्राधिकार में नहीं रही है नहीं उक्त भूमि पर रिको का कब्जा है। वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में बताये गये तथ्य बिलकुल गलत है जिसमें किसी प्रकार की सत्यता नजर नहीं आती है। अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं अपीलाधीन पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत उप जिला कलेक्टर में एक वाद प्रार्थना पत्र रामबिलास बनाम वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रिको एवं अन्य के विरूद्व चला था उक्त वाद प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामनिवास के पक्ष में निर्णत हुआ उप जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 16.04.2012 के अनुसरण में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामनिवास के पक्ष में स्वीकार किया गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 590/2 करबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि को राज्य सरकार द्वारा आद्योगिक क्षेत्र ईकाई के लिए आवंटित की गयी थी किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो सके कि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:15:41 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवादित भूमि को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी हो। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया है कि विवादित भूमि कभी रिको की रही हो ऐसा भी दस्तावेज वकील अपीलार्थी द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। वकील अपीलान्ट विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो सके की विवादित भूमि कभी रिको की रही हो। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2012 एवं नामान्तरकरण संख्या 2198 यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 30-9-21 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:15:41 IST
Reason: SelfAttested